

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा, (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- श्री विकास पंचोली (RAS)

दायर तारीख 17/11/2011

अनवान

01. देराम पिता तुलछा जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी भूति तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
 02. मदनलाल पिता तुलछा जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी भूति तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।

.....वादी

बनाम

01. शंकरलाल पिता पन्ना जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी भूति तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
 02. शिवलाल पिता पन्ना जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी भूति तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
 03. बजरंगलाल पिता पन्ना जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी भूति तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
 04. पार्वती पुत्री पन्ना जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी भूति तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
 05. झमकू वेवा पन्ना जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी भूति तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
 06. बालू पिता तुलछा जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी भूति तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
 07. इनायत हुसैन पिता मोहम्मद याकूब जाति मुसलमान उम्र वयस्क निवासी कोटड़ी गोरधनपुरा, कोटा।
 08. शाखा प्रबन्धक, सहकारी भूमि विकास बैंक, शाखा माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा।
 09. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां तहसील बिजौलियां

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित :- श्री छीतरलाल धाकड़ अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53-88-188 राज0 का0 अधिनियम

-: निर्णय :-

दिनांक :- 13.12.2018

संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53-88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वाद नियमित सुनवाई दिनांक 03.01.2018 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम भूति पटवार हल्का सदारामजी का खेड़ा स्थित आराजी नं0 199 रकबा 2-07 बीघा, आराजी नं0 200 रकबा 3-00 बीघा, आराजी नं0 201 रकबा 2-04 बीघा, आराजी नं0 202 रकबा 1-01 बीघा, आराजी नं0 203 रकबा 0-02 बीघा, आराजी नं0 204 रकबा 0-11 बीघा, आराजी नं0 205 रकबा 0-18 बीघा, आराजी नं0 206 रकबा 0-10 बीघा, आराजी नं0 207 रकबा 17-16 बीघा, आराजी नं0 519 रकबा 8-12 बीघा, आराजी नं0 530 रकबा 7-09 बीघा कुल कित्ता 11 रकबा 44-10 बीघा भूमि का बाई मिट्स एवं बाउण्डस् के आधार पर विभाजन पक्षकारान की उपस्थिति में प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिये जाकर प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बिजौलिया से लिया गया तहसीलदार बिजौलिया ने अपने पत्रांक/राजस्व/2018/ दिनांक 22.06.2018 को प्रस्तुत किये। सलंगन पत्रावली है। प्राप्त प्रस्ताव अधिवक्ता वादी को स्वीकार है।

अतः वादपत्र वादीगण अन्तर्गत धारा 53-88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
01	देराम पिता तुलछा कराड़ सा देह खातेदार-रहन आईसीआईसीआई बैंक शाखा बिजौलियां	भूति	199/3	0-13		0-19
			200/3	0-12		2-70
			201/3	0-08		1-80
			199/5	0-02		0-03
			202/1	0-12		2-70
			206/2	0-07		0-10
			207/1	0-14		1-47
			207/5	3-14		7-77
			509/1	2-03		4-51
			530/3	1-17		3-88
			योग	कित्ता 10	11-02	

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

02	बलुल पिता तुल्छा कराड सा देह खातेदार	भूति	202/2	0-07	1.57
			204/1	0-02	0.03
			207/2	2-06	4.83
			207/6	4-06	9.03
			519/2	2-03	4.52
			530/4	1-18	4.00
	योग		किता 06	11-02	23.98
03	बलुल पिता तुल्छा कराड सा देह रहन सभूति बैंक शाखा माण्डलगढ	भूति	199/2	0-03	0.04
			199/4	0-04	0.06
			200/2	1-12	7.20
			201/2	1-04	5.40
			204/3	0-03	0.04
			205/2	0-08	0.84
			206/1	0-03	0.05
			207/4	3-05	6.82
			519/3	2-03	4.51
			530/2	1-17	3.88
	योग		किता 10	11-02	28.84
04	शंकरलाल बजरंगलाल पिता पन्नालाल इनकूदेवी पत्नी स्व. पन्नालाल 3/20 लीला पत्नी शिवलाल कराड 1/20 सा देह सुधीर कुमार पिता भंवरलाल कोतवाल गुर्जर सा बिजौलियां 1/20 खातेदार	भूति	199/1	1-05	0.38
			200/1	0-16	3.60
			201/1	0-12	2.70
			202/3	0-02	0.45
			204/2	0-06	0.10
			205/1	0-10	1.05
			207/3	3-11	7.46
	योग		किता 07	7-02	15.74
05	देराम मदन बालुलाल पि. तुल्छा 3/4 शंकरलाल बजरंगलाल पि. पन्नालाल इनकूदेवी पत्नी स्व. पन्नालाल 3/20 लीला पत्नी शिवलाल कराड 1/20 कराड सा देह सुधीर कुमार पिता भंवरलाल कोतवाल गुर्जर सा बिजौलियां 1/20 खातेदार रहन बालुलाल पिता तुल्छा कराड का हिस्सा स.भू. वि. बैंक शाखा माण्डलगढ रहन आईसीआईसीआई बैंक शाखा बिजौलियां हिस्सा देराम पिता तुल्छा का	भूति	203	0-02	-
				किता 01	0-02
06	इनायत हुसैन पिता मोहम्मद याकूब जाति मुसलमान सा. कोटडी गोरधनपुरा, कोटा।	भूति	519/4	2-03	4.52
				किता 01	2-03
07	बजरंग पिता पन्नालाल 1/20 कराड सा देह सुधीर कुमार पिता भंवरलाल कोतवाल गुर्जर सा. बिजौलियां 1/5 खातेदार	भूति	530/1	1-17	3.88
				किता 01	1-17

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। वकील वादी निर्धारित नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प प्राप्त करें तब डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।



निर्णय आज दिनांक 13.12.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास चंघोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां